









► विभागीय अधिकारी करें समस्याओं का गुणवत्तापरक निस्तारण :  
मंडलायुक्त  
► मंडलायुक्त ने देर शाम तक समस्त फरियादियों की सुनी समस्याएं  
रायबरेली, समृद्धि न्यूज़।



मुख्यमंत्री की मंशानुरूप लखनऊ मण्डल की मण्डलायुक्त डा० रोशन जैकब ने जनपद रायबरेली कलेक्टर सहित बचत भवन सचिवालय में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। जनता दर्शन का उद्देश्य समस्याओं का समय से

&lt;/div

## गुणवत्ता की दवा

**दे**श में दवाओं की गुणवत्ता के मानक निर्धारण और उनके नकारात्मक प्रभावों पर कारार नियंत्रण करने की मांग बहुत उपरानी है। जिस देश में एक बड़ी आबादी ज्ञाला छप डॉक्टर्स व मेडिकल स्टोर से दवा लेकर ड्राज करती हो, वहाँ दवाओं का मानकीकरण बेहद ज़रूरी हो जाता है। हाल के दिनों में अफ्रिका और मध्य एशिया के देशों में कफ सूरप से होने वाली कथित मौतों के बाद दवाओं के मानकीकरण की बहस तेज हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन की टिप्पणियों से भी भारतीय दवा ड्रोग की विश्वसनीयता लागता है। इन्स्सदेह इस प्रक्रम से भारत की प्रतिशु भी प्रभावित हुई है। लगाता है इसके बाद केंद्र सरकार भी हालत में आई और सुरक्षित दवाओं का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिये पहले हुई बहुत संभव है इसी घटनाक्रम के बाद उच्च मानकों वाली सुख्खित औषधियों का उत्पादन सुनिश्चित करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया हो। संसद के मानसून सत्र में सुख्खित दवाओं का उत्पादन सुनिश्चित करने वाला एक विधेयक लान प्रस्तावित है। जिसके जरिये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि घटिया दवाओं द्वारा देश -विदेश पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों पर अंकुश लगे। निस्सदेह, इसके मूल में भारत तथा दुनिया के कई देशों में लोगों पर पड़े नकारात्मक प्रभावों के सबक हैं। इसी मूलक सद से डायप, मेडिकल डिवाइस और कॉम्पॉटर्स किल, 2023 लाया जा रहा है। निस्सदेह, इस विधेयक को कानून का रूप देने से पहले इसके विभिन्न पहलुओं पर गंभीर सत्ता से मंथन करने की जरूरत होगी। जिससे उद्योग से जुड़ी खामियों को दूर किया जा सके। निस्सदेह, देश में भारी सौरप्रकृति पर्यावरणीकी तरफ किसित करने की जरूरत है। जिसके लिये गुणवत्ता का शोध और नियन्त्रण भी जरूरी है। यह विधेयक दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण, विक्री, आयात व निर्यात के उच्च मानकों के सुनिश्चित करेगा। जो औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम-1940 को निरस्त करेगा और नई जरूरतों के हिसाब से कानून को उत्पोड़ी बनाएगा। दरअसल, दवाओं की गुणवत्ता के निर्धारण के मार्ग में जहाँ दवा ड्रोग की लौंगी और राजनीतिक घालमेल की बाधा है, वहीं हमारे नियमक तंत्र में व्याप विश्वसनीय भी इसके मूल में है। ऐसे में कानून बनाते कर्क इह तरह की सावधानियां बनते को जरूरत होगी। यह भी देखना होगा कि नये कानून से एक सूर्योदयिक ड्रोग पर कई उत्पादक प्रभाव न पड़े। क्या भारत दुनिया में एक बड़े दवा उत्पादक देश के रूप में उभरा है। लेकिन दवाओं की गुणवत्ता का निर्धारण हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। यह देश की साख के लिये भी जरूरी है। आशकाएं जाती होती रही हैं कि नये कानून से दवा निर्माण के लाइसेंस से जुड़ी राज्य दवा नियन्त्रकों की शक्तियों में कटौती हो सकती है। यहाँ उद्देश्य करने के प्रारंभिक होगा कि औषधि मानक नियंत्रण संगठन को सशक्त बनाने के प्रयास पहले भी दो बार विफल हो चुके हैं। वर्ष 2007 और 2013 में औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक विसंगतियों के चलते अंतर्राष्ट्रीय संसद द्वारा लायपर में लिये गये थे। उद्देश्यीय है कि वर्ष 2021 में जब नया विधेयक बन रहा था तो पंजाब के पार्मांड डोवा ने लाइसेंसिंग और अन्य नियमक प्रक्रियाओं के प्रस्तावित केंद्रीयकरण पर आपत्ति व्यक्त की थी। भविष्य की आशकाओं से ग्रसित राज्य की कीरी दो सौ छोटी फार्म इकाइयों के प्रार्थनियों के लिये एक विधेयक विसंगतियों से संपर्क करने अथवा बदलने नियमों के अनुरूप बुनियादी ढांचे को उत्तर करने के लिये पर्याप्त वित्तीय साधारणों की कमी होगी। दरअसल, पंजाब का दवा ड्रोग एक इकाइयों को निर्धारित समय तक जीएसी में छूट का लाभ मिल रहा था। जिससे वे बाजाने में स्वीकृत दवा बेचकर पंजाब के उत्पादकों के लिये चुनौती पेश कर रहे हैं। निस्सदेह, इस नये कानून के बनने से पहले बीच का दवा उत्पादक दवाओं पर अंकुश और उद्योगीय दिलाई देता है।

## संपादकीय

लखनऊ, बुधवार, 19 जुलाई, 2023

6

## गठबंधन की राजनीति में हावी अवसरवादिता



राजेश माहेश्वरी

ज्ञानीति में रहने वाले कहे कुछ भी निन्मुक्त मन में तो-देकर सत्ता ही घूमती रहती है। इस बारी में अजीत पवार की राजनीतिक व्यापारी देशों के लिये विभिन्न पहलुओं पर गंभीर सत्ता से बाहर रहते हैं। लगाता है इसके बाद केंद्र सरकार भी हालत में आई है। निस्सदेह, इसी घटनाक्रम के बाद उच्च मानकों वाली सुख्खित औषधियों का उत्पादन सुनिश्चित करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया हो। संसद के मानसून सत्र में सुख्खित दवाओं का उत्पादन सुनिश्चित करने वाला एक विधेयक लान प्रस्तावित है। जिसके जरिये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि घटिया दवाओं द्वारा देश -विदेश पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों पर अंकुश लगे। निस्सदेह, इसके मूल में भारत तथा दुनिया के कई देशों में लोगों पर पड़े नकारात्मक प्रभावों के सबक हैं। इसी मूलक सद से डायप, मेडिकल डिवाइस और कॉम्पॉटर्स किल, 2023 लाया जा रहा है। निस्सदेह, इस विधेयक को कानून का रूप देने से पहले इसके विभिन्न पहलुओं पर गंभीर सत्ता से मंथन करने की जरूरत होगी। जिससे उद्योग से जुड़ी खामियों को दूर किया जा सके। निस्सदेह, देश में भारी सौरप्रकृति पर्यावरणीकी तरफ किसित करने की जरूरत है। जिसके लिये गुणवत्ता का शोध और नियन्त्रण भी जरूरी है। यह विधेयक दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण, विक्री, आयात व निर्यात के उच्च मानकों के सुनिश्चित करेगा। जो औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम-1940 को निरस्त करेगा और नई जरूरतों के हिसाब से कानून को उत्पोड़ी बनाएगा। दरअसल, दवाओं की गुणवत्ता के निर्धारण के मार्ग में जहाँ दवा ड्रोग की लौंगी और राजनीतिक घालमेल की बाधा है, वहीं हमारे नियमक तंत्र में व्याप विश्वसनीय भी इसके मूल में है। ऐसे में कानून बनाते कर्क इह तरह की सावधानियां बनते को जरूरत होगी। यह भी देखना होगा कि नये कानून से एक सूर्योदयिक ड्रोग पर कई उत्पादक प्रभाव न पड़े। क्या भारत दुनिया में एक बड़े दवा उत्पादक देश के रूप में उभरा है। लेकिन दवाओं की गुणवत्ता का निर्धारण हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। यह देश की साख के लिये भी जरूरी है। आशकाएं जाती होती रही हैं कि नये कानून से दवा निर्माण के लाइसेंस से जुड़ी राज्य दवा नियन्त्रकों की शक्तियों में कटौती हो सकती है। यहाँ उद्देश्यीय है कि वर्ष 2021 में जब नया विधेयक बन रहा था तो पंजाब के पार्मांड डोवा ने लाइसेंसिंग और अन्य नियमक प्रक्रियाओं के प्रस्तावित केंद्रीयकरण पर आपत्ति व्यक्त की थी। भविष्य की आशकाओं से ग्रसित राज्य की कीरी दो सौ छोटी फार्म इकाइयों के प्रार्थनियों के लिये एक विधेयक विसंगतियों से संपर्क करने अथवा बदलने नियमों के अनुरूप बुनियादी ढांचे को उत्तर करने के लिये एक विधेयक विसंगतियों के चलते अंतर्राष्ट्रीय संसद द्वारा लाया जा रहा है। उद्देश्यीय है कि वर्ष 2021 में जब नया विधेयक बन रहा था तो पंजाब के पार्मांड डोवा ने लाइसेंसिंग और अन्य नियमक प्रक्रियाओं के प्रस्तावित केंद्रीयकरण पर आपत्ति व्यक्त की थी। भविष्य की आशकाओं से ग्रसित राज्य की कीरी दो सौ छोटी फार्म इकाइयों के प्रार्थनियों के लिये एक विधेयक विसंगतियों से संपर्क करने अथवा बदलने नियमों के अनुरूप बुनियादी ढांचे को उत्तर करने के लिये एक विधेयक विसंगतियों के चलते अंतर्राष्ट्रीय संसद द्वारा लाया जा रहा है। उद्देश्यीय है कि वर्ष 2021 में जब नया विधेयक बन रहा था तो पंजाब के पार्मांड डोवा ने लाइसेंसिंग और अन्य नियमक प्रक्रियाओं के प्रस्तावित केंद्रीयकरण पर आपत्ति व्यक्त की थी। भविष्य की आशकाओं से ग्रसित राज्य की कीरी दो सौ छोटी फार्म इकाइयों के प्रार्थनियों के लिये एक विधेयक विसंगतियों के चलते अंतर्राष्ट्रीय संसद द्वारा लाया जा रहा है। उद्देश्यीय है कि वर्ष 2021 में जब नया विधेयक बन रहा था तो पंजाब के पार्मांड डोवा ने लाइसेंसिंग और अन्य नियमक प्रक्रियाओं के प्रस्तावित केंद्रीयकरण पर आपत्ति व्यक्त की थी। भविष्य की आशकाओं से ग्रसित राज्य की कीरी दो सौ छोटी फार्म इकाइयों के प्रार्थनियों के लिये एक विधेयक विसंगतियों के चलते अंतर्राष्ट्रीय संसद द्वारा लाया जा रहा है। उद्देश्यीय है कि वर्ष 2021 में जब नया विधेयक बन रहा था तो पंजाब के पार्मांड डोवा ने लाइसेंसिंग और अन्य नियमक प्रक्रियाओं के प्रस्तावित केंद्रीयकरण पर आपत्ति व्यक्त की थी। भविष्य की आशकाओं से ग्रसित राज्य की कीरी दो सौ छोटी फार्म इकाइयों के प्रार्थनियों के लिये एक विधेयक विसंगतियों के चलते अंतर्राष्ट्रीय संसद द्वारा लाया जा रहा है। उद्देश्यीय है कि वर्ष 2021 में जब नया विधेयक बन रहा था तो पंजाब के पार्मांड डोवा ने लाइसेंसिंग और अन्य नियमक प्रक्रियाओं के प्रस्तावित केंद्रीयकरण पर आपत्ति व्यक्त की थी। भविष्य की आशकाओं से ग्रसित राज्य की कीरी दो सौ छोटी फार्म इकाइयों के प्रार्थनियों के लिये एक विधेयक विसंगतियों के चलते अंतर्राष्ट्रीय संसद द्वारा लाया जा रहा है। उद्देश्यीय है कि वर्ष 2021 में जब नया विधेयक बन रहा था तो पंजाब के पार्मांड डोवा ने लाइसेंसिंग और अन्य नियमक प्रक्रियाओं के प्रस्तावित केंद्रीयकरण पर आपत्ति व्यक्त की थी। भविष्य की आशकाओं से ग्रसित राज्य की कीरी दो सौ छोटी फार्म इकाइयों के प्रार्थनियों के लिये एक विधेयक विसंगतियों के चलते अंतर्राष्ट्रीय संसद द्वारा लाया जा रहा है। उद्देश्यीय है कि वर्ष 2021 में जब नया विधेयक बन रहा था तो पंजाब के पार्मांड डोवा ने लाइसेंसिंग और अन्य नियमक प्रक्रियाओं के प्रस्तावित केंद्रीयकरण पर आपत्ति व्यक्त की थी। भविष्य की आशकाओं से ग्रसित राज्य की कीरी दो सौ छोटी फार्म इकाइयों के प्रार्थनियों के लिये











